(651)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

22 JUN 2016

क्रमांकः—प. 1(227)नविवि/3/2015 जयपुर, दिनांक 22 JUN 2016

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17—ए के अन्तर्गत 50 प्रतिशत दर पर पदक विजेताओं को अधिकतम 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्रावधान है किन्तु विभिन्न प्राधिकरणों/न्यासों/नगरीय निकायों द्वारा उक्त सीमा से अधिक क्षेत्रफल का भूखण्ड संबंधित को आवंटित कर दर निर्धारण/अनुमति बाबत विभाग को प्रस्ताव भेज दिये जाते हैं।

ऐसी स्थिति में निर्धारित क्षेत्रफल का यदि भूखण्ड सृजित ही नही है अथवा योजना में उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड के आवंटन का प्रस्ताव तभी मान्य होगा जब मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल से बढा हुआ क्षेत्रफल अधिकतम 15 प्रतिशत से अधिक नही है। यदि भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक है तो उस स्थिति में मूल भूखण्ड के 10 प्रतिशत तक बढे हुये क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर तथा शेष 5 प्रतिशत तक भूखण्ड के बढे हुये क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर से दुगुनी दर ली जाकर भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा। 15 प्रतिशत से अधिक बढे हुये क्षेत्रफल पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकरणों में प्रथमतः निर्धारित क्षेत्रफल की सीमा में ही भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जावे। निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक यानि 15 प्रतिशत तक बढे हुये क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रस्ताव भेजते समय इसके कारण भी स्पष्ट किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

22/6/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग/नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ नगर नियोजक/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
17. रक्षित पत्रावली।

22/6/16

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय